


फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

दस्तावेज/आज्ञा नाम जम्बीर टाल

प्रार्थना पत्र संख्या :- 16/2023 प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश सैनी हाजिर। अप्रार्थीगण की आदेशिका में दिनांक 03.01.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।</p> <p>प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय-वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थना -पत्र के चरण संख्या-2 में उल्लेखित भूमि पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। फैसला आज दिनांक 22/11/24...को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो</p>	


जयपुर नगर न्यायालय

